प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या - 01/2023 आर.टी.आई. (GCMS/2023/36)
दायर दिनांक - 09.06.2023
निर्णय दिनांक - 19.06.2023

श्री रमेशसिंह पिता हरिसिंह रावत, निवासी नया बाडिया (आडावाला) बली जस्साखेडा, तहसील भीम, जिला राजसमंद (राज.)	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

-: निर्णय :-

श्री रमेशसिंह पिता हरिसिंह रावत, निवासी नया बाडिया (आडावाला) बली जस्साखेडा, तहसील भीम, जिला राजसमंद (राज.) ने सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 16.05.2023 को कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्रेषित की। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा वांछित सूचनाएं नियत कानूनी अवधि में उपलब्ध नही कराये जाने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र क्रमांक 483-484 दिनांक 09.06.2023 से श्री रमेशसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति-उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 13.06.2023 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा कार्यालय को दिनांक 11.04.2023 को आवेदन प्रेषित किया गया जो इस कार्यालय को दिनांक 13.04.2023 को प्राप्त हुआ। उक्त आवेदन में वांछित सूचना भू-अभिलेख अनुभाग से संबंधित होने भू-अभिलेख अनुभाग को यू. ओ. नोट क्रमांक 217 दिनांक 17.04.2023 जारी किया गया। दिनांक 19.04.2023 से मंत्रालयिक कार्मिकों की अनिश्चित हड़ताल होने से उक्त आवेदन में अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी एवं प्रार्थी को सूचना समसय उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। प्रार्थी का उक्त आवेदन में वांछित सूचना 1 पृष्ठ में सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित समय सीमा बीत जाने के कारण निःशुल्क कर भिजवाई गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 01 दिनांक 13.06.2023 से भी अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। साथ ही अपना प्रत्युत्तर जरिये ईमेल से भी प्रेषित करने हेतु लिखा गया।

प्रश्नगत अपील में लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी ने न ही कोई लिखित प्रक्रिया प्रस्तुत की और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न ही किसी भी माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.04.2023 को आवेदन प्रेषित किया जो लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 13.04.2023 से प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के भू-अभिलेख अनुभाग से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी द्वारा यू. ओ. नोट दिनांक 17.04.2023 से भू-अभिलेख अनुभाग से सूचना चाही गई। दिनांक 19.04.2023 से मंत्रालयिक कर्मचारियों की अनिश्चित हड़ताल होने से उक्त अपीलार्थी के आवेदन में अग्रिम कार्यवाही नही की जाकर अपीलार्थी को सूचना ससमय उपलब्ध नही कराई जा सकी। मंत्रालयिक कर्मचारियों की हड़ताल समाप्ति के उपरांत सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.06.2023 से अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 11.04.2023 में वांछित सूचना 1 पृष्ठ सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित समय सीमा बीत जाने कारण निःशुल्क प्रेषित की गई।

अपीलार्थी द्वारा भी लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किये जाने अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष न रखने की स्थिति से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के उत्तर से सन्तुष्ट है।

सहाययक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 13.06.2023 से अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 11.04.2023 में वांछित सूचना 1 पृष्ठ में सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित समय सीमा बीत जाने कारण निःशुल्क भी प्रेषित की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
2. श्री रमेशसिंह पिता हरिसिंह रावत, निवासी नया बाडिया (आडावाला) बली जस्साखेडा, तहसील भीम, जिला राजसमंद।

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर